न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 153 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. चन्दन राठौड़ पुत्र बाबु भाई जाति ढोली निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. कमला पत्नी चन्दुलाल
2. हरिकिशन पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		2. कमला पत्नी मंगाराम
		3. केली पुत्री मंगाराम
		4. धीसी देवी पत्नी भैराराम
		5. चम्पा पुत्री चन्दुलाल
		6. छगनलाल पुत्र भैराराम
		7. जैता पुत्री चन्दुलाल
		8. दिनेश पुत्र चन्दुलाल
		9. पिस्ता पुत्री चन्दुलाल
		10. मुकेश पुत्र चन्दुलाल
		11. मदनलाल पुत्र हरिराम उर्फ सदाराम
		12. मुन्नी देवी पत्नी जुगाराम
		13. महेन्द्र पुत्र जुगाराम
		14. रणजीत पुत्र चन्दुलाल
		15. रीना पुत्री चन्दुलाल
		16. लालाराम पुत्र मंगाराम
		17. श्रवण पुत्र मंगाराम
		18. सायरी देवी पत्नी मंगाराम
		19. सीता पुत्री मंगाराम तमाम जातिगण नायक निवासीगण गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		20. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां पटवार हल्का गुड़ा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान ख.नं. 462 रकबा 1.1500 है0 में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 / 1222 रकबा 0.3000 है0, ख.नं. 497 रकबा 0.8400 है0 में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी

जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 498/1222 एवं 497 में से प्रा0पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे परिशिष्ठ क में 'अ,ब,स,द' दर्शाये अनुसार दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 से 20 को बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 462 में पंहुच हेतु ख.नं. 463/1239 में से 30 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रकरण सं0 119/2025 दिनांक 02.06.2025 को पेश किया था, जिसमें तहसीलदार सोजत से रास्ते संबंधी रिपोर्ट मंगवायी गई, जिस रिपोर्ट में ख.नं. 462 के दक्षिण में प्रार्थित रास्ता ख.नं. 463/1239 में गहरा गड्डा व पानी का बहाव क्षेत्र होने से संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा ख.नं. 498/1222 व 497 में से निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया। जिस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरो के खातेदार पक्षकार नहीं होने से उक्त प्रकरण सं0 119/2025 को नोटप्रेस कर हस्तगत प्रकरण उक्त प्रकरण सं0 119/2025 की सम्पूर्ण पत्रावली मय रास्ते संबंधी रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि फहरिस्त के साथ पेश की हैं। जिसके अनुसार ग्राम गुड़ा कलां के ख.नं. 462 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हैं। उक्त खसरे में पंहुच हेतु निकटतम व सुविध संतुलन अनुसार प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 498/1222 व 497 में से ख.नं. 504 किस्म गै0मु0 सैरिया तक जो रास्ता मौके पर चल रहा है। जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है व मौके पर रास्ता बना हुआ हैं। ख.नं. 462 के दक्षिण में गहरा गड्ढा व पानी का बहाव क्षेत्र हैं। लाल स्याही से दर्शित बिन्दु ए से बी ख.नं. 498/1222 किस्म बा0दो0 सरकारी में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 80 मीटर × 5 मीटर = 0.0400 है0 हैं तथा बिन्दु बी से सी रास्ता ख0नं0 497 में से है, जो खातेदारी खसरा है में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 160 मीटर × 5 मीटर = 0.0800 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 350000/– रूपये प्रति हैक्टर है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 498/1223 व 497 में से मौका फर्द में लाल रंग स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां के खसरा नम्बर 462 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 498/1222 व 497 में से उसकी माठ के सहारे सहारे पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण सं0 119/2025 में पेश

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रास्ते संबंधी रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ता 'एबीसी' के अनुसार दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 498/1222 व 497 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां पटवार हल्का गुड़ा कलां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 462 रकबा 1.1500 है0 किस्म बा0दो0 में पंहुच हेतु सिवायचक ख.नं. 498/1222 रकबा 0.3000 है0 किस्म बा0दो0 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 497 रकबा 0.8700 है0 किस्म बा0दो0 में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (350000/—रू0 × 2 × 0.2160 है0 = 151200/— रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का	प्रतिकर की राशि रूपये

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

		(है0) में		रकबा है0 में	में (डीएलसी की दौगुना)
01.	498/ 1222 बा0दो0	0.3000	राज0 सरकार	80 मी0× 9 मी0 = 0.0720 है0	50,400/— रू
02.	497 बा0 दो0	0.8400 है0	कमला पत्नी चन्दुलाल हिस्सा— 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार	160 मी0 × 9 मी0 = 0.1440 है0	1400/—रू
03.			कमला पुत्री मंगाराम हिस्सा 1/21 जाति— नायक सा. देह खातेदार		4800/—रू
04.			केली पुत्री मंगाराम हिस्सा 1/21 जाति— नायक सा. देह खातेदार		4800/—रू
05.			घीसीदेवी पत्नी भेराराम हिस्सा 1/9 जाति— नायक सा. देह खातेदार		11200/— रू
06.			चम्पा पुत्री चन्दुलाल हिस्सा 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
07.			छगनलाल पुत्र भैराराम हिस्सा 1/9 जाति— नायक सा. देह खातेदार		11200/— रू
08.			जैता पुत्री चन्दुलाल हिस्सा— 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
09.			दिनेश पुत्र चन्दुलाल हिस्सा— 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
10.			पिस्ता पुत्री चन्दुलाल हिस्सा 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
11.			मुकेश पुत्र चन्दुलाल हिस्सा 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
12.			मदनलाल पुत्र हरीराम उर्फ सदाराम हिस्सा 1/3 जाति— नायक सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सोजतरोड		33600/— रू
13.			मुनीदेवी पनि जुगाराम हिस्सा 1/42 जाति— नायक सा. देह खातेदार		2400/—रू
14.			महेन्द्र पुत्र जुगाराम हिस्सा— 1/42 जाति— नायक सा. देह खातेदार		2400/—रू
15.			रणजीत पुत्र चन्दुलाल हिस्सा 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
16.			रीना पुत्री चन्दुलाल हिस्सा— 1/72 जाति— नायक सा. देह खातेदार		1400/—रू
17.			लालाराम पुत्र मंगाराम हिस्सा 1/21 जाति— नायक सा. देह खातेदार		4800/—रू
			श्रवण पुत्र मंगाराम हिस्सा 1/21		

18.			जाति–नायक सा. देह खातेदार		4800/–रु
19.			सायरीदेवी पनि मंगाराम हिस्सा 1/21 जाति– नायक सा. देह खातेदार		4800/–रु
20.			सीता पुत्री मंगाराम हिस्सा 1/21 जाति– नायक सा. देह खातेदार		4800/–रु

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)